रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 566] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 27, 2004/पौष 6, 1926

No. 566] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 27, 2004/PAUSA 6, 1926

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2004

सा.का.नि. 837(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और भूमि सीमा शुल्क विभाग समूह "ग" पद भर्ती नियम, 1999 तथा सीमा शुल्क विभाग समूह "ग" पद भर्ती नियम, 1979 को, जहां तक उक्त प्रत्येक नियम का संबंध गेस्टेटनर प्रचालक (ज्येष्ठ श्रेणी) और अभिलेखपाल के पदों से हैं, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या जिनके करने से लोप किया गया है, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क विभाग में गेस्टेटनर प्रचालक (ज्येष्ठ श्रेणी) और अभिलेखपाल के समूह "ग" पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क विभाग गेस्टेटनर प्रचालक (ज्येष्ठ श्रेणी) और अभिलेखपाल (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **विशेष उपबंध.**—प्रत्येक आयुक्तालय का, जब तक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा अन्यथा निदेश न किया गया हो, अपना-अपना पृथक काडर होगा।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिये उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6
गेस्टेटनर प्रचालक (ज्येष्ठ श्रेणी)	13* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग", अराजपत्रित, अननुसचिवीय	3050-75-3950-80-4590 रु.	अचयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जायेगा
11	12
प्रोन्नति	**प्रोन्नति :** ऐसे गेस्टेटनर प्रचालक से, जिसने उस श्रेणी मे तीन वर्ष नियमित सेवा की है। **टिप्पण :** यदि किसी कनिष्ठ व्यक्ति पर उसके द्वारा उस श्रेणी में सेवा की, विहित अर्हक अवधि पूरा करने के आधार पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाता है, तो उस श्रेणी में उससे ज्येष्ठ सभी व्यक्तियों पर भी, इस बात के होते हुए भी प्रोन्नति के लिए विचार किया जाएगा कि उन्होंने उस श्रेणी में सेवा की विहित अर्हक अवधि पूरी नहीं की है, किन्तु उन्होंने परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
समूह ''ग'' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) (I) एकल आयुक्तालय, जो ऐसा आयुक्तालय है, जिसमें कोई सामान्य काडर नहीं है : (i) मुख्यालय कार्यालय में अपर आयुक्त, जिसे काडर नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा। —अध्यक्ष (ii) अधिमानत: मुख्यालय कार्यालय में ज्येष्ठतम दो आयुक्त, जिन्हें काडर नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा। —सदस्य (iii) आयकर उपायुक्त या आयकर सहायक आयुक्त, जिसे आयकर आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा। —सदस्य **टिप्पण** : जहां उपर क्रम संख्यांक (i) से (iii) में कोई सदस्य यथास्थिति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं है, वहां विभाग के बाहर से, यथास्थिति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी समूह ''क'' अधिकारी को भी विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा। (II) संयुक्त आयुक्तालय अर्थात् दो या अधिक ऐसे आयुक्तालय, जिनका सामान्य काडर है :— (i) प्रत्येक आयुक्तालय से, अधिकतम तीन के अधीन रहते हुए, अपर आयुक्त, जिन्हें काडर नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा संबंधित आयुक्तों के परामर्श से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा। —(उनमें से ज्येष्ठतम अध्यक्ष होगा)। (ii) अधिमानत: मुख्यालय कार्यालय में ज्येष्ठतम उपायुक्त, जिसे काडर नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा। —सदस्य (iii) आयकर उपायुक्त या आयकर सहायक आयुक्त, जिसे आयकर आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा। —सदस्य **टिप्पण** : जहां उपर क्रम संख्यांक (i) से (iii) में कोई सदस्य यथास्थिति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं है, वहां विभाग के बाहर से, यथास्थिति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी समूह ''क'' अधिकारी को भी विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा।	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6
2. अभिलेखपाल	110* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ''ग'', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	2750–70–3800–75–4400 रु.	अचयन	लागू नहीं होता

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12
प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति :** (i) ऐसे दफ्तरी और गेस्टेटनर प्रचालक से, जिसने दो वर्ष सेवा की हो, (ii) ऐसे सिपाही से, जिसने चार वर्ष सेवा की है। **टिप्पण I :** ऊपर (i) से (ii) में उल्लिखित केवल वे ही अधिकारी अभिलेखपाल के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे, जो विहित लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। **टिप्पण II :** यदि किसी कनिष्ठ व्यक्ति पर उसके द्वारा उस श्रेणी में सेवा की, विहित अर्हक अवधि पूरा करने के आधार पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाता है, तो उस श्रेणी में उससे ज्येष्ठ सभी व्यक्तियों पर भी इस बात के होते हुए भी प्रोन्नति के लिए विचार किया जाएगा, कि उन्होंने उस श्रेणी में सेवा की विहित अर्हक अवधि पूरी नहीं की है, किन्तु उन्होंने परीवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

13	14
समूह ''ग'' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) (I) एकल आयुक्तालय अर्थात्, ऐसी कमीशनरी, जिसमें सामान्य काडर नहीं है : (i) मुख्यालय कार्यालय में अपर कमिश्नर, जिसे काडर नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा। —अध्यक्ष (ii) अधिमानत: मुख्यालय कार्यालय में ज्येष्ठतम दो आयुक्त, जिन्हें काडर नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा। —सदस्य (iii) आयकर उपायुक्त या आयकर सहायक आयुक्त, जिसे आयकर आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा। —सदस्य **टिप्पण :** जहां उपर क्रम संख्यांक (i) से (iii) में कोई सदस्य यथास्थिति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं है, वहां विभाग के बाहर से, यथास्थिति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी समूह ''क'' अधिकारी को भी विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा। (II) संयुक्त आयुक्तालय अर्थात् दो या अधिक ऐसे आयुक्तालय, जिनका सामान्य काडर है :— (i) प्रत्येक आयुक्तालय से, अधिकतम तीन के अधीन रहते हुए, अपर आयुक्त, जिन्हें काडर नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा संबंधित आयुक्तों के परामर्श से नामर्निदष्ट किया जाएगा। (उनमें से ज्येष्ठतम अध्यक्ष होगा)। (ii) अधिमानत: मुख्य कार्यालय में ज्येष्ठतम उपायुक्त, जिसे काडर नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा। —सदस्य (iii) आयकर उपायुक्त या आयकर सहायक आयुक्त, जिसे आयकर आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा। —सदस्य **टिप्पण :** जहां उपर क्रम संख्यांक (i) से (iii) में कोई सदस्य यथास्थिति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं है, वहां विभाग के बाहर से, यथास्थिति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी समूह ''क'' अधिकारी को भी विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-12018/33/2003-प्रशा. III (बी)]

एस. के. ठाकुर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 24th December, 2004

G.S.R. 837(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Excise and Land Customs Department Group "C" posts Recruitment Rules, 1979 and the Customs Department Group "C" posts Recruitment Rules, 1979, in so far as each of the said rule relate to posts of Gestetner Operator (Senior Grade) and Record Keeper, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' posts of Gestetner Operator (Senior Grade) and Record Keeper, in the Central Excise and Customs Department, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Central Excise and Customs Department Gestetner Operator (Senior Grade) and Record Keeper, (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, Classification and Scale of Pay.**—The number of said posts, their classification and the scale of the pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Special Provision.**—Each Commissionerate shall have its own separate cadre unless otherwise directed by the Central Board of Excise and Customs.

4. **Method of recruitment, age limit, other qualification etc.**—The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in Columns (5) to (14) of the said Schedule.

5. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do , it may, by order and for reason to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Scale of Pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service is admissible under Rule 30, of the Central Civil Services (Pensions) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6
1. Gestetner Operator (Senior Grade)	13* (2004) *Subject to change depending on work-load.	General Central Service Group 'C' Non Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 3050-75-3950-80-4590.	Non-selection	Not applicable

3842 GI/04-2

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made
11	12
Promotion	**Promotion:** From amongst Gestenter Operator with three years regular service in the grade. **Note:** If a junior person is considered for promotion on the basis of his completing the prescribed qualifying period of service in that grade, all persons senior to him in the grade shall also be considered for promotion, notwithstanding that they may not have rendered the prescribed qulifying period of service in that grade but have completed successfully the prescribed period of probation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
13	14
Group 'C' Departmental Promotion Committee **(For considering Promotion):** (I) Single Commissionerate that is Commissionerates having no common cadre: (i) The Additional Commisssioner at Headquarter office to be nominated by the cadre controlling authority —Chairman (ii) Two Deputy Commissiner preferably seniormost at Headquarter office to be nominated by the Cadre Controlling authority —Members (iii) The Deputy Commissioner of Income Tax or Assistant Commissioner of Income Tax to be nominated by the Commissioner of Income Tax —Members	Not applicable

13	14
Note: Where none of the member at serial numbers (i) to (iii) above belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, as the case may be, a Group 'A' officer from outside the Department belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, as the case may be, shall also associate as a member of the Departmental Promotion Committee (II) Composite Commissionerates i.e.two or more Commissionerates having common cadre:— (i) The additional Commissioner from each of the Commissionerates subject to a maximum of three to be nominated by cadre controlling authority by mutual consultation with commissioners concerned. (the seniormost among them shall be the)—Chairman (ii) The Deputy Commissioner preferably seniormost at Headquarters office to be nominated by the cadre controlling authority —Member (iii) The Deputy Commissioner of Income Tax or Assistant Commissioner of Income Tax to be nominated by the Commissioner of Income Tax —Member **Note:** Where none of the member at serial numbers (i) to (iii) above belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, as the case may be, a Group 'A' officer from outside the Department belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, as the case may be, shall also associate as a member of the Departmental Promotion Committee	

1	2	3	4	5	6
2. Record Keeper	110* (2004) *Subject to change depending on work-load.	General Central Service Group 'C' Non Gazetted, Non-Ministrial	Rs. 2750-70-3800-75-4400.	Non-selection	Not applicable

7	8	9	10
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

11	12
By Promotion	Promotion: from amongst : (i) Daftry and Gestetner Operator with two years service (ii) Sepoy with four years service. **Note I** : Only those of the officers mentioned at (i) to (ii) above who pass in the prescribed written test shall be entitled for promotion as Record Keeper. **Note II** :If a junior person is considered for promotion on the basis of his completing the prescribed qualifying period of service in that grade, all persons senior to him in the grade shall also be considered for promotion, notwithstanding that they may not have rendered the prescribed qualifying period of service in that grade but have completed successfully the prescribed period of probation.

13		14
Group 'C' Departmental Promotion Committee		Not applicable
(For considering Promotion) :		
(I) Single Commissionerate that is Commissionerates having no common cadre :		
(i) The Additional Commissioner at Headquarter office to be nominated by the cadre controlling authority	—Chairman	
(ii) Two Deputy Commissioner preferably seniormost at Headquarter office to be nominated by the cadre controlling authority	—Member	
(iii) The Deputy Commissioner of Income Tax or Assistant Commissioner of Income Tax to be nominated by the Commissioner of Income Tax	—Member	
Note: Where none of the member at serial numbers (i) to (iii) above belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, as the case may be, a Group 'A' officer from outside the Department belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, as the case may be, shall also associate as a member of the Departmental Promotion Committee		
(II) Composite Commissionerates i.e.two or more Commissionerates having common cadre:—		
(i) The Additional Commissioner from each of the Commissionerates subject to a maximum of three to be nominated by cadre controlling authority by mutual consultation with commissioners concerned (the seniormost among them shall be the)	—Chairman	
(ii) The Deputy Commissioner preferably seniormost at Headquarters office to be nominated by the cadre controlling authority	—Member	
(iii) The Deputy Commissioner of Income Tax or Assistant Commissioner of Income Tax to be nominated by the Commissioner of Income Tax	—Member	
Note: Where none of the member at serial numbers (i) to (iii) above belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, as the case may be, a Group 'A' officer from outside the Department belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, as the case may be, shall also associate as a member of the Departmental Promotion Committee		

[F. No. A-12018/33/2003-Ad. III(B)]

S. K. THAKUR, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.